बिज़नेस स्टैंडर्ड 2 सितंबर 2026

पंजाब नैशनल बैंक ... भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

प्रधान कार्यालय: प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110 075
(ईमेल: hosd@pnb.bank.in)

असाधारण आम बैठक की सूचना

यह बैंक द्वारा दिनांक 15.08.2026 को समाचार पत्रों में प्रकाशित बैंक की सूचना के संदर्भ में है, जो शुक्रवार, **25 सितंबर, 2026 को प्रात: 11.00 बजे** (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल सुविधा (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाने वाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) से संबन्धित है, जिसमें निम्नलिखित कार्य निष्पादित किए जाएंगे :

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (इसके पश्चात "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 9(3)(i) के निबंधनों के अंतर्गत प्राप्त वैध नामांकन के संबंध में तथा, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 ,राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970, अधिनियम की धारा 19 के अनुसरण में निर्मित पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000, सेबी (सूचीबद्धता(लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, यथा संशोधित तथा भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - अभिशासन) निदेश, 2025 और समय-समय पर किए गए संशोधन, यदि हों के साथ पठित प्रावधानों के अनुसार, बैंक के शेयरधारकों में से, केन्द्र सरकार के अतिरिक्त, एक निदेशक का चुनाव करना।

टिप्पणियाँ:

1. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय परिपत्र दिनांक 22 सितंबर, 2025 के साथ पठित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, **चुनाव के लिए प्रासंगिक प्रपत्रों वाले ईजीएम की विस्तृत सूचना उपर्युक्त परिपत्र(त्रों) के अनुसार केवल उन सभी शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से भेजा गया है, जिनके ई-मेल पते बैंक/ निक्षेपागार सहभागियों (डीपी) के साथ पंजीकृत हैं।**
2. प्रासंगिक प्रपत्रों के साथ ईजीएम की विस्तृत सूचना की एक प्रति बैंक की वेबसाइट अर्थात www.pnb.bank.in, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर तथा ईवोटिंग एजेंसी अर्थात एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।
3. **सूचना दिनांक 15.08.2026 के अनुसार, उपर्युक्त चुनाव में भाग लेने (अर्थात नामांकन, चुनाव लड़ने और मतदान करने) के लिए पात्र शेयरधारकों का निर्धारण करने के उद्देश्य से निर्दिष्ट/कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 28 अगस्त, 2026 थी। चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों द्वारा नामांकन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि और समय गुरुवार, 10 सितंबर, 2026 सायं 05.00 बजे तक है।**
4. शेयरधारक केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में शामिल एवं सहभागिता कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से सहभागिता करने वाले शेयरधारकों की गणना पंजाब नैशनल बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2000 के विनियमन 58 के अंतर्गत कोरम की पूर्ति के उद्देश्य से की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में शामिल होने के निर्देश विस्तृत सूचना में उल्लिखित हैं।
5. कोई भी व्यक्ति, किसी निगमित निकाय के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने और/या ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की प्रमाणित वास्तविक प्रतिलिपि, बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले यथा कार्यदिवस पर या उससे पहले अर्थात **शनिवार, 19 सितंबर, 2026 को सायं 5.00 बजे या उससे पहले** 'शेयर विभाग, पंजाब नैशनल बैंक, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली 110075' को संबोधित करते हुए हार्ड कॉपी में बैंक को या hosd@pnb.bank.in पर ई-मेल के माध्यम से या evoting@nsdl.com एवं hosd@pnb.bank.in को मार्क करते हुए एक प्रति, scrutinizer@snaco.net को ई-मेल के माध्यम से संवीक्षक को जमा कर दी जाए।
6. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के परिपत्रों के साथ पठित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के प्रावधानों, यथासंशोधित, के अनुपालन में, बैंक अपने शेयरधारकों को एनएसडीएल द्वारा प्रदान किए जा रहे ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधनों(ईजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग) द्वारा ईजीएम में निष्पादित किए जाने वाले कार्य के संबंध में अपने मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ईजीएम की सूचना में दी गई विस्तृत प्रक्रिया का पालन करें।
7. निर्दिष्ट/कट-ऑफ तिथि को शेयर रखने वाले शेयरधारक ई-वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने हेतु नोटिस में दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। वह व्यक्ति जिसका नाम निर्दिष्ट/कट-ऑफ तिथि को शेयरधारकों/लाभार्थी स्वामियों (डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित) के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही ईजीएम के दौरान कार्यसूची मद के लिए रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र होंगे।
8. रिमोट ई-वोटिंग **मंगलवार, 22 सितंबर, 2026 प्रात 09.00 बजे से शुरू होकर गुरुवार, 24 सितंबर, 2026 को सायं 05.00 बजे समाप्त होगी** और इस तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। शेयरधारक शुक्रवार, 25 सितंबर, 2026 को ईजीएम के दौरान भी जो उसके समापन के 30 मिनट बाद तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी अपने वोट डाल सकते हैं।
9. केवल वे शेयरधारक जिनके नाम उपर्युक्त निर्दिष्ट/कट-ऑफ तिथि को डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित शेयरधारकों/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, कार्यसूची मद के संबंध में रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।
10. ई-वोटिंग नियमों के अनुसार, केवल वे शेयरधारक जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है और जिन्हें ऐसा करने से अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, उन्हें ईजीएम में ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट करने की अनुमति दी जाएगी। कोई शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी ईजीएम में भाग ले सकता है, किन्तु ऐसे शेयरधारक को ईजीएम के दौरान पुनः वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
11. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्र सरकार के अतिरिक्त बैंक का कोई भी शेयरधारक स्वयंधारित शेयरों के सम्बन्ध में बैंक के शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकार के 10% से अधिक मताधिकार प्रयुक्त करने का पात्र नहीं होगा। यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान के संबंध में रजिस्टर में जिसका नाम पहले है उसे एकल धारक माना जाएगा।
12. निर्दिष्ट/कट-ऑफ तिथि तक भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक और/या जिन्होंने बैंक/डिपॉजिटरी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे ईजीएम की सूचना में निर्धारित ईजीएम में रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की प्रक्रिया का पालन करें।
13. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक जिनकी ई-मेल आईडी बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के साथ पंजीकृत नहीं है,उनसे अनुरोध है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) अर्थात मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को einward.ris@kfintech.com पर एक ईमेल भेजकर पंजीकृत करें। इसके अतिरिक्त, डीमैट फॉर्म में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक और जिन्होने अपनी ई-मेल आईडी को पंजीकृत/अपडेट नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे इसके लिए अपने निक्षेपागार सहभागी (डीपी) से संपर्क करें।
14. ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में या वीसी के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने के लिए, शेयरधारक सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक से evoting@nsdl.com या टेलीफोन नंबर: 022-48867000 पर संपर्क कर सकते हैं।
15. ईजीएम/चुनाव से संबंधित सभी जानकारी के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक की वेबसाइट अर्थात www.pnb.bank.in देखें।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते पंजाब नैशनल बैंक

(बिक्रमजित सोम)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. : F6517

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 01.09.2026

Business Standard 2 SEPTEMBER 2026

पंजाब नैशनल बैंक ... भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

Head Office: Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi – 110 075
(Email: hosd@pnb.bank.in)

Notice of the Extraordinary General Meeting

This has reference to the Notice published in the newspapers on 15.08.2026 regarding the Extraordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of the Bank scheduled to be held on Friday, **25th September, 2026 at 11.00 a.m.** (IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the following business:

- To elect ONE Director from amongst the Shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with the Banking Regulation Act, 1949, the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 made pursuant to Section 19 of the Act, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended and Reserve Bank of India (Commercial Banks - Governance) Directions, 2025 and further amendments thereto, if any.

Notes:

1. In compliance to the applicable provisions of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with MCA Circular dated 22nd September, 2025, **the detailed Notice of the EGM containing the relevant Forms for the Election has been sent through email *only* to all those Shareholders whose email addresses are registered with the Bank/Depository Participant (DP), in accordance with the aforementioned Circular(s).**
2. A copy of the detailed Notice of the EGM along with the relevant Forms is available on the website of the Bank i.e. www.pnb.bank.in, the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively and on the website of Evoting agency, i.e., NSDL at www.evoting.nsdl.com.
3. **As informed vide Notice dated 15.08.2026, the Specified/ Cut-off Date for the purpose of determining the Shareholders eligible for participating (i.e. to nominate, contest and vote) in the aforesaid Election was Friday, 28th August, 2026. The last date and time for submission of Nomination forms by the shareholders desirous of contesting the election is Thursday, 10th September, 2026 by 05.00 p.m.**
4. Shareholders can join and participate in the EGM through VC/OAVM facility only. Shareholders participating through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 58 of PNB (Shares and Meetings) Regulations, 2000. The instructions for participating in the EGM through VC/OAVM are set forth in the detailed Notice.
5. No person shall be entitled to attend the EGM through VC/OAVM and/or vote through e-voting as duly authorized representative of a body corporate, unless a certified true copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, is submitted to the Bank in hard copy addressed to 'Share Department, Punjab National Bank, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075' or through email at hosd@pnb.bank.in OR to the Scrutinizer by e-mail to scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.com and hosd@pnb.bank.in, not less than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours **i.e., 5.00 p.m. of Saturday, 19th September, 2026**.
6. In compliance to Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and the provisions of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended read with MCA Circulars, the Bank is providing its shareholders the facility to exercise their right to vote in respect of the business to be transacted at the EGM by electronic means (remote e-voting and e-voting during the EGM) through the e-voting platform provided by NSDL. The shareholders are requested to follow the procedure as detailed in the Notice of the EGM.
7. The Shareholders holding shares as on the Specified/Cut-Off Date may follow the procedure as provided in the Notice for obtaining the login ID and password for e-voting. A person whose name is recorded in the Register of Shareholders / Beneficial owners (maintained by the Depositories) as on the Specified/Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/e-voting for the agenda item during the EGM.
8. The remote e-voting will commence from **09.00 a.m. of Tuesday, 22nd September 2026 to 05.00 p.m. of Thursday, 24th September 2026** and the remote e-voting shall not be allowed beyond this date and time. The Shareholders may also cast their votes electronically during the EGM on Friday, 25th September, 2026 upto 30 minutes post conclusion of the same.
9. Only those Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders/ Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the aforesaid Specified/Cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting in respect of the agenda item.
10. In terms of the E-voting Rules, only those shareholders, who are present in the EGM through VC/OAVM and have not cast their vote through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be allowed to vote through e-voting system at the EGM. A shareholder may participate in the EGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but such a shareholder shall not be allowed to vote again during the EGM.
11. In terms of provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank other than Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. If any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.
12. Shareholders holding shares in physical form as on the Specified/Cut-off date and/or those who have not registered their email id with the Bank/Depository are requested to follow the procedure for casting vote through remote e-voting or e-voting at the EGM, as stipulated in the Notice of the EGM.
13. Shareholders holding shares in physical form who have not registered their email id are requested to register the same with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. M/s Kfin Technologies Ltd. by sending an email at einward.ris@kfintech.com. Further, shareholders holding shares in demat form and have not registered/updated their email ids are requested to approach their Depository Participant (DP) for the same.
14. In case of any query/grievance connected with the facility for e-voting or attending the EGM through VC, shareholders may contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager at evoting@nsdl.com or at telephone no.: 022-48867000.
15. For all the information relating to the EGM/Election, Shareholders are requested to visit Bank's website i.e. www.pnb.bank.in.

By order of the Board of Directors
For Punjab National Bank

(Bikramjit Shom)
Company Secretary
Membership No: F6517

Place: New Delhi
Date: 01.09.2026